राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:एफ.28( )पराविं / प्रशा.2 / पंचा.प्र.अ.–भैसरोडगढ / अनु.कार्य. / 2020 / 208 जयपुर,दिनांक: 03-02-20

:: आदेश ::

चूकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता का श्री लोकेश कुमार जैन, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़, जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लोकेश कुमार जैन, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़, जिला चित्तौडगढ़ को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन कॉल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद चित्तौडगढ़ रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
सयुंक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग,राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री लोकेश कुमार जैन को उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हे यह भी निर्देश देवें कि वे बिना सक्षम स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोडे।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़ (चित्तौडगढ़) उक्त निलम्बन आदेश का इनकी सेवापुस्तिका में इन्द्राज लाल स्याही से कर प्रमाणित प्रति एवं इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समुचित प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करावें।
6. श्री लोकेश कुमार जैन, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़, जिला चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोधपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें एवं बिना सक्षम पूर्वानुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़े।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली ।
8. ACP, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
सयुंक्त शासन सचिव-II

D:\SSR\CCA PE\2020\Notice 2020.doc